न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 330 / 2018 (131 / 2014)
दायर दिनांक :– 29.10.2014

अनवान

1. श्री मोडू पिता मगना चमार नि. देवरा तहसील जहाजपुर
2. श्री जगदीश पिता मगना चमार नि. देवरा तहसील जहाजपुर
3. श्रीमति केसर बेवा मगना चमार नि. देवरा तहसील जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. श्री रामदेव पिता जयराम मीणा नि. भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
2. श्री रामकरण पिता जयराम मीणा नि. भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादीगण
2. श्री अंजनी कुमार शर्मा, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 10.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 45 / 9 रकबा 06.00 बीघा वादीगण के पिता पति की खातेदारी की भुमि है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। तथा वादीगण ने उक्त आराजियात को प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने दादागिरी के बल पर एव शक्ति व लट्ठ के बल पर खरीफ की बुवाई 2014 में अतिक्रमण / अतिचार कर अवैध रूप से कब्जा कर वादीगण को कब्जे काश्त से बेदखल कर दिया। तथा वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि पर आये तो जान से खत्म कर देगे। हम राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति हैं तथा हमने दादागिरी के बल पर कब्जा कर लिया हैं वादीगण गरीब काश्तकार होकर अनूसचित जाति के गरीब व्यक्ति हैं जो कानून में विश्वास रखते हैं। इसलिये वाद उक्त आराजियात पर प्रतिवादी सं. 1व 2 द्वारा अवैध रूप से कर रखा कब्जा से बेदखल कर पुनः कब्जा प्रतिवादी सं. 1 व 2 से वादीगण को दिलाया जाना आवश्यक एव न्याय संगत हैं एव बाद कब्जा दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले न डलवावे कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। उक्त वर्णित कृषि जमीन में प्रतिवादी स. 1 व 2 द्वारा अवैध रूप से कर रखा कब्जा से बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने की घोषणात्मक डिक्री एवं बाद कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न अपने नोकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदारों से डलवावें कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्रदान कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से जवाबदावा पेश किंया गया। जिसे शामिल फाईल

किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में निवेदन किया की उपरोक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज है लेकिन विगत 50 वर्षो से अधिक समय से भूमि पर प्रतिवादीगण का एव हमारे से पहले हमारे पूवर्जो का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त एव उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं खरीफ की बुवाई 2014 में हम प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर कब्जा करने के तथ्य गलत है। प्रतिवादीगण ने कभी भी वादीगण को धमकी नही दी बल्कि वादीगण विगत कई वर्षो से उक्त भूमि पर कभी भी आये ही नहीं वादीगण के पिता ने उपरोक्त भूमि को हम प्रतिवादीगण के पिता को विकय कर कब्जा संभलाया था तब से ही पहले प्रतिवादीगण के पिता एव उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज हैं लेकिन भूमि के खाते में वादीगण का नाम दर्ज होने से वादीगण हम प्रतिवादीगण से और रूपये वसूलना चाहते हैं इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह झुठा वाद पत्र पेश किया हैं। कई वर्षो पुर्व से ही उक्त भूमि पर हम प्रतिवादीगण का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का वादपत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण खारिज कराये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र झुठा व गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं समयावधि से वर्जित होने के कारण चलने योग्य नही है। जिससे वादीगण का वाद पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाना फरमावे।

वादीगण के वादपत्र एवं जवाबदावें के आधार पर वादपत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा कर रखा अतिचार से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जाना चाहिए ?

.... जिम्मे वादीगण

2. आया वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन पर बाद कब्जा वादीगण को दिलाये जाने पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द किया जाना चाहिए ?

.... जिम्मे वादीगण

3. आया वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन में विगत 50 वर्षो से अधिक समय से जवाबदारान व इनके पुर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है ?

.... जिम्मे प्रति.सं. 1 व 2

4. आया अनुतोष क्या होगा ?

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 की एवं नकल ट्रेस प्रस्तुत किये गये। एवं ब्यान गवाह में मोडु पी डब्ल्यु 1, गोपाल पी डब्ल्य 1 के ब्यान करवाये गयें। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से वाद पत्र में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादीगण के पिता पति वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि वादीगण के पिता पति के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि के वादीगण के पिता पति खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2067–70 से होती है। वादीगण के पिता पति की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जिसकी ताईद तहसीलदार जहाजपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 से होती है। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 1 बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

2. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी वादीगण स्वंय की है। वादीगण के पिता वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर अनुसुचित जाति का

व्यक्ति है। वादीगण के पिता पति की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। तथा वादीगण अनुसुचित जाति का व्यक्ति होने से वादीगण को कब्जा काश्त में बाधा न डाले इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किय जाना चाहिए। वादीगण अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में सफल रहा है। जिससे तनकी न0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित की जाती है।

3. इस तनकी को सिद्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिवादी सं. 1 व 2 की है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या सबुत अथवा ऐसा कोई गवाह प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह साबित होता हो की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि जमीन में विगत 50 वर्षो से अधिक समय से प्रतिवादीगण का व इनके पुर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा हो। तथा प्रतिवादीगण द्वारा केवल एक अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की गई है जो कि सम्वत 2022 में लिखा गया है वो भी पंजिकृत नही है। उक्त वर्णित भूमि के कब्जे संबधी कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध कराने में असफल रहे है। जिससे तनकी न0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 के निर्णित की जाती है।

अतः वादीगण ने अपने जिम्मे की तनकीयात को सिद्ध कराने में सफल रहे है। जिससे वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 45/9 रकबा 06.00 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 व 2 से कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर ;भीलवाडा
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्री मोडू पिता मगना चमार नि. देवरा तहसील जहाजपुर
2. श्री जगदीश पिता मगना चमार नि. देवरा तहसील जहाजपुर
3. श्रीमति केसर बेवा मगना चमार नि. देवरा तहसील जहाजपुर

वादीगण.........

बनाम

1. श्री रामदेव पिता जयराम मीणा नि. भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
2. श्री रामकरण पिता जयराम मीणा नि. भरणीखुर्द तहसील जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर0टी0ए0
प्रकरण संख्या :– 330/2018 (131/2014)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री अंजनी शर्मा का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम भरणीखुर्द प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 45/9 रकबा 06.00 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 व 2 से कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादीगण को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:15:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: